



## राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No. 22/Review (Dist.-Sirohi)/RJ/2023-Coord.

Dated: 29.05.2023

To

जिला अधिकारी,  
जिला - सिरोही,  
सिरोही - 307001 (राजस्थान),  
ईमेल: dm-sir-rj@nic.in

**विषय:** राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य की अध्यक्षता में जिला सिरोही प्रशासन द्वारा जिले के अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए विभिन्न सुरक्षणों एवं कार्यक्रमों के कामकाज की समीक्षा बैठक दिनांक 22.03.2023 के कार्यवृत्।

महोदय / महोदया,

मुझे उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक जी की अध्यक्षता में जिला सिरोही के अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों तथा जिला प्रशासन के साथ जिले के अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए विभिन्न सुरक्षणों एवं कार्यक्रमों की काम काज की समीक्षा बैठक दिनांक 22.03.2023 को आयोजित की गयी थी, के कार्यवृत् संलग्न करने का निर्देश हुआ है।

2. अतः आपसे निवेदन हैं की आयोग द्वारा की गयी संस्तुतियों पर की गयी / की जाने वाली कार्यवाई के साथ संबंधित सूचना को इस पत्र के प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर भेजने का कष्ट करें जिसे माननीय आयोग के समक्ष रखा जा सके।

भवदीय,  
*रिट्रैट*  
(आर. एस. मिश्र)  
अनुसंधान अधिकारी (एस एस डब्ल्यू)  
Tel: 011-24657272

प्रति आवश्यक कार्यवाई हेतु :

प्रमुख सचिव,  
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार,  
5213, मुख्य भवन, शासन सचिवालय,  
जयपुर (राज.),  
Email: ps-tad@rajasthan.gov.in

**राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**  
**National Commission for Scheduled Tribes**

\*\*\*\*\*

जिला सिरोही (राजस्थान) प्रशासन द्वारा जिले के अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए विभिन्न सुरक्षणों एवं कार्यक्रमों के कामकाज की समीक्षा हेतु दिनांक 22.03.2023 को सिरोही में आयोजित बैठक पर संविधान के अनुच्छेद 338क (5)(e) के अंतर्गत रिपोर्ट एवं अनुसंशाए।

[File No. 22/Review(Dist.- Sirohi)RJ/2023-Coord.]

Date of Review Meeting: 22.03.2023 at Sirohi, Rajasthan

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत किया गया है। इसे अन्य वातों के साथ साथ संविधान के अंतर्गत अथवा तत्त्व समय लागू किसी अन्य कानून अथवा सरकार के किसी अन्य आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के लिए उपबंधित सुरक्षणों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण और अनुवीक्षण करना और इन सुरक्षणों के बारे में प्रतिवर्ष, और ऐसे अन्य समयों पर आयोग ठीक समझें, माननीय राष्ट्रपति महोदय को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है। इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रपति अपनी सभी रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और उनके साथ संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्थापित कार्यवाई तथा यदि कोई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई हैं तो उसे अस्वीकृत के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होगा। जहाँ कोई ऐसी रिपोर्ट या उसका कोई भाग, किसी ऐसे विषय से संबंधित हैं जिसका किसी राज्य सरकार से सम्बन्ध हैं, तो ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति उस राज्य के राज्यपाल को भेजी जाएगी जो उसे राज्य के विधान-मण्डल के समक्ष रखवाएगा और उसके साथ राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किये जाने के लिए प्रस्थापित कार्यवाई तथा यदि कोई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई है तो उसे अस्वीकृत के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होगा।

2. संवैधानिक आदेश के अनुसार, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक जी की अध्यक्षता में दिनांक 22.03.2023 को जिला सिरोही में जिला प्रशासन द्वारा जिले के अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए विभिन्न सुरक्षणों एवं कार्यक्रमों के कामकाज की समीक्षा हेतु बैठक आयोजित की गयी। आयोग के माननीय सदस्य के साथ, श्री के ताऊथांग, संयुक्त सचिव, श्रीमती मिरांडा इन्दुदाम, निदेशक, श्री आर एस मिश्र, अनुसंधान अधिकारी एवं

**अनंत नायक/ANANT NAYAK**

प्रदेशीय Member  
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES  
भारत सरकार Govt. of India  
मुख्यालय, नई दिल्ली

प्रमुख एन सी एस टी, क्षेत्रीय कार्यालय-जयपुर तथा श्री पी के परिदा, आयोग के माननीय सदस्य के निजी सचिव भी उपस्थित थे।

3. बैठक में जिला प्रशासन, सिरोही के हिस्सा लेने वाले अधिकारियों की सूची संलग्नक – 1 पर है।

4. जिला सिरोही की समीक्षा बैठक से पूर्व, दिनांक 21.03.2023 की शाम को जिला सिरोही के विश्रामगृह में, श्री अनंत नायक, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित संस्थाओं के प्रतिनिधियों, जनजातीय समुदायों के प्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ, जिनमें निवासरत अनुसूचित जनजातियों की विभिन्न समस्याओं, राज्य सरकार / केंद्र सरकार तथा जिला प्रशासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन, शिक्षा, सवास्थ्य तथा रोजगार से संबंधित प्रकरणों पर चर्चा की। बैठक के प्रतिभागियों की सूची संलग्नक-2 पर है।

5. बैठक प्रारंभ होने से पूर्व अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित संस्थाओं के प्रतिनिधियों, जनजातीय समुदायों के प्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने माननीय सदस्य का स्वागत किया तथा स्वयं का परिचय दिया।

6. बैठक में, श्री लीलाराम गरासिया, प्रधान प० स०, आबू रोड; श्रीमती रिचा, प्रतिनिधि जनचेतना, आबू रोड; श्री जीतू राणा, नगरपालिका, अध्यक्ष आबू पर्वत; श्री भावाराम गरासिया, मीडिया प्रभारी, गरासिया समाज; श्री मेघाराम गरासिया, अध्यक्ष, आदिवासी विकास समिति तथा पंचायत सदस्य, पिण्डवाड़ा; श्री लखमाराम गरासिया; श्री दानाराम मीणा, सदस्य, कृषि ट्रस्ट, सिरोही, पाली, जालोर जिला; श्रीमती परबीन बाई, सामाजिक कार्यकर्ता, रेवदर तहसील; श्री पुराराम जी गरासिया, जिला अध्यक्ष गरासिया समाज; श्री विनीत पवार, सी. एम. एफ. टाटा ट्रस्ट; श्री मुकेश कुमार गमेती, सामाजिक कार्यकर्ता; श्री विक्रम कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता; श्री जगदीश कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता; श्री नरसा राम, आबू रोड; श्री बाबूलाल भील, एकलव्य भील सेवा समिति, सिरोही (उपाध्यक्ष); श्री सीताराम गरासिया, ए. वी. एस. एस. आबू

### अन्वर्ण लायक

अनंत गायक/ANANT GAYAK

सदस्य/Member

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

भारतीय सरकार, India

No. 1, Sector 1, Noida

रोड, संरक्षक तथा अन्य उपस्थित लोगों ने अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा, सुरक्षा तथा विकास से संबंधित समस्याओं पर अपनी अपनी बात रखी। बैठक में उठाये गए मुख्य बिन्दु निम्नवत है :-

- (i) अनुसूचित जनजातियों के बालिकाओं के छात्रावासों में सुरक्षा प्रबंध का अभाव है अतः सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए क्योंकि बालिकाओं को सुरक्षा प्रदान करना अति महत्वपूर्ण है।
- (ii) अनुसूचित जनजातियों के छात्रावासों में वार्डनों को शीघ्र नियुक्त किया जाए तथा वह अनुसूचित जनजाति समुदाय के उम्मीदवार ही हो।
- (iii) वनाधिकार अधिनियम, 2006 (एफ आर ए) का क्रियान्वयन सही तरीके से किया जाए। विशेषकर सामुदायिक वनाधिकार का सही तरीके से क्रियान्वयन हो जिससे अनुसूचित जनजाति के विभिन्न समुदायों के लोग लाभान्वित हो सके।
- (iv) अनुसूचित जनजाति के लोगों को आई ए एस/ आई पी एस / पी सी एस की परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग की सुविधा उपलब्ध करायी जाए।
- (v) अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के लिए छात्रावासों की निगरानी के लिए जिला / ब्लॉक स्तर पर कमेटियाँ बनायी जायें।
- (vi) जिला / ब्लॉक स्तर पर पुस्तकालयों की स्थापना की जायें।
- (vii) बत्तीसा बांध से विस्थापित लोगों को मुआवजा दिया जायें।
- (viii) गैर अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों, जिन्होंने अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की भूमि पर उनकी सहमति के बिना कब्जा / ख़रीदा है, के विरुद्ध कार्यवाई की जायें।
- (ix) सिरोही जिलें के पिण्डवाडा तहसील के पिण्डवाडा (ग्रामीण) गाँव को अनुसूचित क्षेत्र घोषित है अतः इसको सही ढंग से परिभाषित करने की आवश्यकता है।

### अनन्त नायक

अनन्त नायक/ANANTA NAYAK  
सदस्य/Member  
ग्रामीण अनुसूचित जनजाति समिति  
NATIONAL COMMISSION ON SC/ST  
35

- (x) सिरोही जिले के पिण्डवाडा तहसील के भुलाग्राम पंचायत भूला ग्राम जो अनुसूचित क्षेत्र घोषित हैं के नए गाँव बनाये गए हैं, जिनको सामान्य घोषित कर दिया गया है। अतः इस पर पुनर्विचार किया जाये।
- (xi) रेवदर तहसील में अस्पताल की स्थापना की जाये।
- (xii) रेवदर तहसील के 14 गाँव MADA पॉकेट्स में सम्मिलित किये जाये।
- (xiii) JK तथा अल्ट्रा टेक सीमेंट फेकिट्रियों द्वारा पर्यावरण दूषित हो रहा है अतः इनके विरुद्ध कार्यवाई की जाये जिससे अनुसूचित जनजाति के लोग स्वस्थ रह सके।
- (xiv) अनुसूचित जनजातियों की बस्तियों में सोलर सिस्टम की निगरानी हेतु ब्लॉक / पंचायत स्तर पर समितियाँ बनायी जाये।
- (xv) अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में स्थित शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के रिक्त पदों को अविलम्ब भरा जाये।
- (xvi) जिले में PESA, 1996 को सही ढंग से लागू किया जाये जिसमें हेमलेट / ढानी को भी सम्मिलित किया जाये।

7. उपरोक्त बैठक के बाद दिनांक 22.03.2023 को माननीय सदस्य महोदय ने जिला अधिकारी, जिला सिरोही तथा पुलिस अधीक्षक जिला सिरोही एवं जिला प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। जिला अधिकारी, जिला सिरोही तथा पुलिस अधीक्षक जिला सिरोही ने माननीय सदस्य महोदय का स्वागत किया। श्री के ताऊथांग, संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने माननीय सदस्य महोदय तथा आयोग के अन्य अधिकारियों का परिचय कराया तथा जिला प्रशासन से उपस्थित अधिकारियों से स्वयं का परिचय देने का आग्रह किया। जिला अधिकारी तथा उपस्थित अन्य अधिकारियों एवं पदाधिकारियों ने स्वयं का परिचय दिया।

इसके उपरांत जिला अधिकारी सिरोही ने आयोग द्वारा भेजी गयी समीक्षा हेतु प्रश्नावली की सूचना उपलब्ध करायी तथा पॉवर पॉइंट प्रस्तुति के माध्यम से भी अवगत कराया। जिला

**अनंत नायक**

अनंत नायक/ANANTA NAYAK  
सदस्य/Member  
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES  
भारत

प्रशासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना में, जिले में अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा से संबंधित, छात्रावासों (लड़के एवं लड़कियों), छात्रवृत्ति (Pre-Metric एवं Post-Metric) की जानकारी, कृषि कार्यों से संबंधित जानकारी, जिले में रोजगारों की स्थिति, जनजातीय वित्तीय निगम विभाग, जिला परिषद् द्वारा किये जा रहे कार्य (जिनमें आवास एवं भूखंड का आवंटन), रसद विभाग द्वारा दिए जा रहे कार्य, चिकित्सा विभाग, जिलाधीश कार्यालय द्वारा किये जा रहे कार्य, जिला पुलिस द्वारा किये जा रहे कार्य, महिला एवं बाल विकास विभाग, टी ए डी / वन विभाग / राजिविका, सहकारी समिति खनिज विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यों की जानकारी दी।

जिला प्रशासन द्वारा की गयी प्रस्तुति में बताया गया की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसँख्या 1036346 जिनमें से अनुसूचित जनजातियों की संख्या 292470 जो 28.22 प्रतिशत हैं। जिले में हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए 06 छात्रावास हैं जिनमें 04 लड़कों तथा 02 लड़कियों के लिए हैं। जिले में कॉलेज छात्रावास एक है जो लड़कियों के लिए है। कृषित श्रमिकों की संख्या 97823 हैं जिनमें से 95140 ग्रामीण क्षेत्र में तथा 2317 शहरी क्षेत्र में हैं। जिले में भूमिहीन श्रमिक मुख्यतः पशुपालन, मजदूरी, पत्थर गङ्गाई, मकान निर्माण, दुकानों पर कार्य, सब्जी ठेला आदि का कार्य करते हैं। रोजगार कार्यालय में दर्ज बेरोजगारों की सँख्या में 1189 पुरुष तथा 337 महिलाएं बतायी गयी। जनजातीय वित्तीय निगम विभाग द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए 03 योजनायें चलायी जा रही हैं: - अनुसूचित जनजाति पोप, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना।

पिछले दस वर्षों के दौरान अनुसूचित जनजातियों को वितरित आवास पट्टों की संख्या 3269 बतायी गयी जिनमें से 650 सिरोही, 1494 पिण्डवाडा, 298 रेवदर, 417 आबू रोड तथा 410 शिवगंज पंचायत समितियों में वितरित किये गए। जिले में ग्रामीण सहकारी आवास समितियां पंजीकृत नहीं हैं। अनुसूचित जनजाति के गावों में पक्के संपर्क मार्ग, स्ट्रीट लाइट तथा शुद्ध पेयजल उपलब्ध है।

पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण लागू है और उनके प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। एमजी नरेगा के अंतर्गत परिवारों को 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। जिले में पी डी एस के अधीन कुल 427 उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं। जिले में दो सामुदायिक, तीन प्राथमिक, एक शहरी प्राथमिक तथा 53 उपस्वास्थ्य केंद्र हैं। जिला प्रशासन

**अनंत नायक**

अनंत नायक/Member  
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्तीय निगम  
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES  
भारत सरकार/Govt. of India  
नई दिल्ली/New Delhi

द्वारा "SAMMAN" – Sirohi Against Malnutrition and Maternal Anemia कार्यक्रम चलाया जा रहा हैं जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के गांवों में कैंप आयोजित किये जाते हैं। जिला प्रशासन द्वारा 112 सामुदायिक प्रमाणपत्र के दावे प्राप्त हुए जिनमें से 67 का सत्यापन किया गया। वर्ष 2022 में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति (अत्याचार का निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत 166 मामले दर्ज किये गए जिनमें से 80 का चालान तथा 74 का एफआर तथा 6 का पेंडिंग दिखाया गया हैं।

वर्ष 2022 – 23 में विशेष केंद्रीय सहायता का आबंटन रूपए 38.04 लाख तथा व्यय रूपए 35.43 लाख बताये गए हैं। बालश्रम की रोकथाम हेतु जिला स्तरीय टास्क फ़ोर्स का गठन दिनांक 22.09.2021 को किया गया। वर्तमान में बालश्रम के 87 मामले लंबित हैं। जिले में वन भूमि पट्टों के व्यक्तिगत दावों की संख्या 5372 जिनमें से 1945 को रिजेक्ट किया गया तथा सामुदायिक दावों की संख्या 112 जिनमें से 37 को रिजेक्ट किया गया। राजिविका कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना के तहत 25 वन धन केंद्र का गठन किया गया जिनमें अनुसूचित जनजाति वर्ग की 6025 महिला समूह सदस्य को जोड़ा गया है।

जिले में खनिज विभाग द्वारा जिला खनिज निधि (DMFT) के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में रूपए 2965.02 लाख प्राप्त तथा रूपए 4282.18 लाख व्यय किये गए। वर्ष 2021-22 में रूपए 3501.60 लाख प्राप्त तथा रूपए 4106.95 लाख व्यय किये गए। इस भांति वर्ष 2022 - 23 में रूपए 3454.31 लाख प्राप्त तथा रूपए 3958.71 लाख व्यय किये गए, बताया गया है। जिला खनिज निधि द्वारा जिले में विभिन्न स्कूलों में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण, छात्रावास नवीनीकरण, नवीन सिलिकोसिस हॉस्पिटल भवन निर्माण कार्य, शौचालय निर्माण कार्य तथा विभिन्न सड़कों के निर्माण कार्य करवाये जा रहे हैं। सिलिकोसिस से पीड़ित / मृतक के आश्रितों को सहायता राशि भी प्रदान की जाती है।

8. आयोग ने जिला समीक्षा के दौरान पाया कि जिला प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा "SAMMAN" – Sirohi Against Malnutrition and Maternal Anemia कार्यक्रम तथा राजिविका के अंतर्गत चलाये जा रहे कार्यक्रम जिले में निवासरत अनुसूचित जनजातियों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे।

**अनंत नायक**

अनंत नायक/ANANTA NAYAK

सदस्य/Member

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति विकास

NATIONAL COMMISSION FOR SCUTIES AND TANT

भारत राज्य

मुमुक्षु

9. आयोग की संस्तुतियां:-

- i. जिले में अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन कृषकों की संख्या उपलब्ध करायी जाये।
- ii. अनुसूचित जनजातियों के समुदायों के कितने गांवों / आवासों में स्ट्रीट लाइट नहीं हैं की सूचना प्रदान की जाए।
- iii. वर्ष वार पिछले तीन वित्तीय वर्षों में जिले में पंचायती राज प्रशिक्षण कार्यक्रम कब कब आयोजित किये गए हैं की सूचना दी जाए।
- iv. जिन अनुसूचित जनजातीय परिवारों के पास पी डी एस कार्ड नहीं हैं, उसके लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं, की सूचना दी जाए।
- v. वर्ष 2022-23 में प्राप्त विशेष केंद्रीय सहायता (Special Central Assistance to TSP) जो अनुपयोगी रह गया है उसके उपयोग के लिए क्या तरीका अपनाया जाएगा, की सूचना दी जाए।
- vi. अनुसूचित जनजातियों की परम्परागत कृषि प्रणाली को मजबूत किया जाए।
- vii. अनुसूचित जनजातियों को ऋण वितरण में अपनाए गए मानकों को सरल बनाया जाए।
- viii. आबू रोड में CHC की स्थापना हेतु कार्यवाई की जाए।
- ix. वर्ष वार पिछले तीन वित्तीय वर्षों में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति (अत्याचार का निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के प्रभावित व्यक्तियों की संख्या तथा उनकों उपलब्ध करायी गयी सहायता राशि की सूचना प्रदान की जाये।
- x. जिले में कितने आंगनवाड़ी सेंटर, जिनमें कोई बच्चा नहीं आता हैं की सूचना दी जाए।
- xi. वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत व्यक्तिगत तथा सामुदायिक निरस्त किये गए दावों पर पुनर्विचार किया जाए।
- xii. जिन अनुसूचित जनजाति के गाँव में बिजली की सुविधा नहीं हैं, के लिए प्रस्ताव बनाया जाए।
- xiii. जिले में अनुसूचित जनजातियों की भूमि अधिग्रहण के पश्चात्, उनका पुनर्वास एवं पुनर्वस्थापन, भूमि अर्जन, पुनर्वासन पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसार किया जाना चाहिये।
- xiv. जिले में कार्यरत कृषि बहु उद्देशीय सहकारी समिति की संरचना की विस्तृत जानकारी प्रदान की जाये।
- xv. जिले में कार्यरत राष्ट्रीयकृत लीड बैंक द्वारा, अशिक्षित अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए नियमों में शिथिलता दी जाये जिससे वह चेक बुक एवं एटीएम की सुविधा का लाभ उठा सके।

**अनन्त नायक**

अनंत नायक/ANANTA NAYAK

सदस्य/Member

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

भारत सरकार/Govt of India

नई दिल्ली/New Delhi

- xvi. जिले में अनाथ अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाये ।
- xvii. वर्ष वार पिछले तीन वित्तीय वर्षों में जिला खनिज निधि के अंतर्गत, सिलिकोसिस से पीड़ित / मृतक अनुसूचित जनजातियों के परिवारों को दी गयी सहायता राशि की सूचना प्रदान की जाये ।
- xviii. जिले में अनुसूचित जनजाति के लोगों को आई ए एस/ आई पी एस / पी सी एस की परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग की सुविधा उपलब्ध करायी जाए ।
- xix. अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के लिए छात्रावासों की निगरानी के लिए जिला / ब्लॉक स्तर पर कमेटियाँ बनायी जाये ।
- xx. जिला / ब्लॉक स्तर पर पुस्तकालयों की स्थापना की जाये ।
- xxi. बत्तीसा बांध से विस्थापित लोगों को मुआवजा दिया जाये ।
- xxii. गैर अनुसूचित जनजातियों लोगों के विरुद्ध कार्यवाई की जाये, जिन्होंने अनुसूचित जनजाति के लोगों की भूमि पर उनकी सहमति के बिना कब्ज़ा / ख़रीदा है ।
- xxiii. अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में स्थित शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के रिक्त पदों को अविलम्ब भरा जाये ।
- xxiv. जिले में अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत घोषित गांवों के लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए प्राथमिकता दी जाये ।

### **अनंत नायक**

अनंत नायक/ANANTA NAYAK

सदस्य/Member

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति गांवों

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

भारत सरकार/Govt. of India

नई दिल्ली/New Delhi

# NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

\*\*\*\*\*

(12)

## ATTENDANCE SHEET

MEETING WITH TRIBAL LEADERS

Sirohi, Circuit House)

Place - 21-3-2008.

Date - .....

State of Rajasthan.....

Sn.	Officials, NCST	Signature		
1	Sh. Anand Neeraj, Member	✓		
2	Sh. K. Toumany, JS	✓		
3	Smt. Mirantri Ingadam Director	✓		
4	Sh. R.S. MISRA, RO	✓		
5	Sh. P.K. Pandya, PSR Member	✓		
6				
7				
8				
9				
10				
Sn	Name of the officials	Department & Designation	Contact No.	Signature
1	विश्व बाबू	सामाजिक सेवक	9928301896	✓
2	जगदीश मीला	सामाजिक कार्यकर्ता	8619088387	✓
3	मुकेश चूधरी लालन	सामाजिक कार्यकर्ता	8269851785	✓
4	नवराज चौधरी	आमिनी फोटोग्राफर, लेटिफ	9602290091	✓
5	लोकेश चौधरी	प्रशासनिक अधिकारी	9829016869	✓
6	पर्वती देवी	सामाजिक सेवक उमा देवी अधिकारी	946148628	✓
7	ओवराम चौधरी	सामाजिक सेवक	9383297101	✓
8	प्रदीप चौधरी	सामाजिक सेवक	9414767936 9610097247	✓
9	कृष्ण चौधरी	सामाजिक सेवक	985296039 78	कृष्ण चौधरी
10	दोभारा मीला	सामाजिक सेवक	9414374496	✓
11	दमोरा मीला	सामाजिक सेवक	9742036338	✓
12	कृष्णचन्द्र मीला	सामाजिक सेवक	709119601673	✓
13	लक्ष्मा चौधरी	आमिनी फोटोग्राफर	9928831514	✓
14	बोली चौधरी	सामाजिक सेवक	923206811	✓
15	पर्वती	सामाजिक सेवक	9829234	✓



List of participants of the meeting with the District Collector & Ors. Sr. Officers held on 22.03.2023 at Sirohi under the Chairmanship of Shri Ananta Nayak, Hon'ble Member NCST, New Delhi regarding implementation of various constitutional safeguards provided to STs in District-Sirohi.

	Name and Designation	Address & Ph. No.	Signature
I.	<u>National Commission for Scheduled Tribes</u>		
1.	Shri K. Touthang, Joint Secretary		
2.	Mrs. Miranda Ingudam, Director		
3	Shri R.S. Misra, Research Officer		
4	Shri P.K. Parida, PS to Hon'ble Member		
5			
II.	<u>District Officials of Sirohi</u>		
	Name & Designation	Address & Ph. No.	Signature
1	Dr. Bhanswar Lal, DM Sirohi	8890463322.	<u>Baloo</u>
2	Mamta Gupta SP Sirohi	9414026445	<u>Gupta</u>
3	Dr. T. Shubhamangala CEO P	9066864659	<u>S</u>
4	Rahul Jain, DC TAD	9892940449	<u>Jain</u>
5	DR. Manohar Singh ADDO TAD	8233610154	<u>Gupta</u>
6	U.R. SIYOL Dy. CF (Project Assistant)	9829614604	<u>A-L</u>
7	Gourind Singh, SDM Abu Road	8296547940	<u>Dhaka</u>
8	HANSMUKH KUMAR SDM Ranikhet	7587222253	<u>d.</u>
9	Dr VIVEK KUMAR Pramod	8944478737	<u>Vivek</u>
10	Ganga Kalawant DGP S.D.P.	9414152633	<u>Mirza</u>
11	Chander Kumar, M.B. Sirohi	8890321992	<u>Chander</u>
12	Ashok Kumar P.O S.J.P.	9414603610	<u>Ashok</u>
13	377456127 34. P. 75203 ICDS	9462078985	<u>Shyam</u>
14	Manohar Singh Tad, Deobhar	9672258327	<u>M</u> 22/3/2023

15	Manish AEn WR P. Abrood	7737360717	<i>[Signature]</i>
16	L.R. Sanjeet Bhosle SVO AND	9530113451	<i>[Signature]</i>
17	AJAY PAL SINGH A.G. DIC वारा अटेट	9166459469	<i>[Signature]</i>
18	राजु फिल्म चौहान DEO emp.	9694347734	<i>[Signature]</i>
19	Apurva Gautam TDR-Sarki	9887344923	<i>[Signature]</i>
20	Komal Kumar Panwary	9829377843	<i>[Signature]</i>
21	Narayan Singh Chauhan DR Coop. 9462878227	9462878227	<i>[Signature]</i>
22	Sanjay Tiwari 10th Class		<i>[Signature]</i>
23	Ravendra Garg, SB PHED	9414372509	<i>[Signature]</i>
24	Neeraj Kumar TDR Sheogarh	9461935964	<i>[Signature]</i>
25	Manish Soni SDM SVO	8769050000	<i>[Signature]</i>
26	Dr. Kedar Nath Patel 2pm Rajendra	9414244386	<i>[Signature]</i>
27	Doodha Ram Hudda SDM Reodar	9314963652	<i>[Signature]</i>
28	नवलपात्रा BDO Abu	9414616762	<i>[Signature]</i>
29	गजराज सिंह, LWO, Labour Dept	9079645576	<i>[Signature]</i>
30	Dr. Hemraj Meena DDHS Malvi	9983561345	<i>[Signature]</i>
31	Prernkumar DM Rajendra	9929806767	<i>[Signature]</i>
32	रत्नाली NTDP Raigarh	9772293995	<i>[Signature]</i>
33	रत्नाली R.S.R.T.C. Raigarh	9413068255	<i>[Signature]</i>
34.	Er. T.K. Khatri XEn Jhunjhunu 9413753345		<i>[Signature]</i>
35.	U.R. Meena	8003998008	<i>[Signature]</i>
36	Hemlata Sisodia P.R.O.	98295323558	<i>[Signature]</i>
37.	Shubham Jain, DFO Sardai	9571239361	<i>[Signature]</i>